संख्या-420/2020/727/22-2-2020-17(1184)/2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 28 सितम्बर, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुकेश पुत्र श्री शीशपाल निवासी जिला-गाजियाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17035/प्रोवेशन-3/(एम-19.09.2019) दिनांक-09.07.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुकेश पुत्र श्री शीशपाल, हसनपुर, थाना-मसूरी, जनपद- गाजियाबाद का निवासी है। बंदी ने दिनांक 18.07.2001 को अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल, रिवाल्वर व तमन्चे से फायर कर बाबू सिंह व अमर सिंह व एक अन्य व्यक्ति सहित 03 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1061/2001 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148,302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-04, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 10.12.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.08.2019 तक 17 वर्ष 07 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 05 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 13.05.2016 द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी का स्वास्थ्य ठीक होने व कोई स्थायी अशक्तता नहीं होने, सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब होने, बंदी द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का होने तथा समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने तथा जेल से छूटने पर बंदी के अपराध में संलिप्त होने की प्रबल संभावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने पुरानी रंजिश में गैंगेस्टर न्यायालय में पेशी पर आये विरोधी पक्ष के व्यक्तियों की दिनांक 18.07.2001 को अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल, रिवाल्वर व तमन्चे से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का होने तथा समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल से छूटने पर बंदी के अपराध में संलिप्त होने की प्रबल संभावना होने होने का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मुकेश पुत्र श्री शीशपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मुकेश (बन्दी संख्या-48263) पुत्र श्री शीशपाल निवासी जिला-गाजियाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-420/2020/727(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-420/2020/727/22-2-2020-17(1184)/2019

दिनांक 28 सितम्बर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुकेश पुत्र श्री शीशपाल, हसनपुर, थाना-मसूरी, जनपद- गाजियाबाद का निवासी है। बंदी ने दिनांक 18.07.2001 को अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल, रिवाल्वर व तमन्चे से फायर कर बाबू सिंह व अमर सिंह व एक अन्य व्यक्ति सहित 03 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1061/2001 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148,302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-04, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 10.12.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.08.2019 तक 17 वर्ष 07 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 05 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 13.05.2016 द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी का स्वास्थ्य ठीक होने व कोई स्थायी अशक्तता नहीं होने, सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब होने, बंदी द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का होने तथा समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने तथा जेल से छूटने पर बंदी के अपराध में संलिप्त होने की प्रबल संभावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने पुरानी रंजिश में गैंगेस्टर न्यायालय में पेशी पर आये विरोधी पक्ष के व्यक्तियों की दिनांक 18.07.2001 को अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल, रिवाल्वर व तमन्चे से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का होने तथा समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल से छूटने पर बंदी के अपराध में संलिप्त होने की प्रबल संभावना होने होने का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मुकेश पुत्र श्री शीशपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in